बिहार सरकार

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

## अधिसूचना

जी0 एस0 आर0 ......1230...................... पटना/दिनांक ....09/02/15

भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग) के प्रकाशित आदेश का0 आ0 संख्या-- **2559(अ)** दिनांक **30 सितम्बर, 2014** से निर्गत विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थो से (अनुज्ञापन सम्बन्धी अपेक्षाएँ, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाना (संशोधन) आदेश, 2011 के साथ पठित आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (1955 का अधिनियम--10) की धारा--3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार की पूर्व सहमति से बिहार राज्यपाल के आदेश से विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थो से (अनुज्ञापन सम्बन्धी अपेक्षाएँ, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाना आदेश--2002 में क्रय, संचलन, विक्रय, प्रदाय, वितरण या विक्रय के लिए भंडारण के बावत् प्रयुक्त शब्दों और पदों को वस्तु अर्थात **खाद्य तेल एवं खाद्य तेलहन** को **30 सितम्बर, 2015** तक की अवधि के लिए प्रास्थगन में रखा जाएगा ।

6. विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक **7442 दिनांक 16.09.2014** द्वारा बिहार व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञा पत्र एकीकरण) आदेश 1984 की अनुसूची--1 से **'खाद्य तेल एवं खाद्य तेलहन'** को विलोपित किये जाने संबंधी आदेश को भी **30 सितम्बर, 2015** तक के लिए प्रास्थगन में रखा जाएगा ।
7. विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक 8969 दिनांक 04.11.2011 द्वारा निर्गत आदेश को दिनांक **30 सितम्बर, 2015** तक के लिए विस्तारित किया जाता है ।
4. तत्सम्बन्धी निर्गत पूर्व अधिसूचनाएँ/आदेश को इस हद तक संशोधित समझा जाय ।
5. यह अधिसूचना तत्कालिक प्रभाव से लागू होगी ।

(प्र04/आ--01/09(खंड--III)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(शैलेन्द्र कुमार चौधरी)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-- प्र04--आ0--01/2009(खण्ड-- III) 1230 दिनांक-- 09/02/15

प्रतिलिपिः-- ई--गजट प्रभारी, वित्त विभाग, पटना को विषयशीर्ष के साथ अंग्रेजी अनुवाद Ms Word में सॉफ्ट कॉपी एवं दो हार्ड कॉपी सहित सूचनार्थ एवं बिहार गजट के असाधारण अंक में अविलम्ब प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

अनुरोध है कि उक्त प्रकाशित गजट की 200 प्रतियां अधोहस्ताक्षरी को शीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।

अनु0-- सॉफ्ट कॉपी एवं दो हार्ड कापी ।

सरकार के अपर सचिव।

D:\2009\SEC_4\GSR.doc

ज्ञापांक— प्र04—आ0—01 / 2009(खण्ड— III) 1230 दिनांक— 09/02/15

प्रतिलिपिः— सरकार के सभी प्रधान सचिव / सचिव / आयुक्त एवं सचिव, / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना / विशिष्ट पदाधिकारी, पटना अनुभाजन, पटना / सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी / सभी अनुमण्डल पदाधिकारी / सभी सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी / सभी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी / सभी पणन पदाधिकारी / सभी आपूर्ति निरीक्षक / प्रशाखा पदाधिकारी—6, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना / महामंत्री, बिहार आपूर्ति सेवा संघ, मौर्य लोक, पटना / महामंत्री, बिहार फेयर प्राईस डीलर्स असोसियेशन, गिखना पहाड़ी, पटना—4 / महामंत्री, बिहार प्रदेश जन वितरण प्रणाली दुकानदार संघ, गायघाट, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

6.2.15

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक— प्र04—आ0—01 / 2009(खण्ड— III) 1230 दिनांक— 09/02/15

प्रतिलिपिः— मुख्य सचिव, बिहार, पटना / विकास आयुक्त, बिहार,पटना / माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आप्त सचिव, बिहार, पटना / प्रबन्ध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य निगम, बिहार,पटना / महाप्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम, पटना / संयुक्त सचिव, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित ।

6.2.15

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक— प्र04—आ0—01 / 2009(खण्ड— III) 1230 दिनांक— 09/02/15

प्रतिलिपिः— आई0 टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को अधिसूचना की प्रति ईमेल एवं विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

6.2.15

सरकार के अपर सचिव।

**Government of Bihar**
**Food and Consumer Protection Department**

---

**Notification**

G.S.R. 1230 Patna, Dated 09/02/15

In exercise of the powers conferred by section-3 of the Essential Commodities Act 1955 (Central Act 10 of 1955) read with the order of the Goverment of India in the ministry of Consumer Affair, Food and Public Distribution published under order No.- **2559(E)** Dated **30th September, 2014** and in view of Removal of (Licensing Requirements, Stock Limit and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs (Amendment) order 2011, with prior concurrence of Government of India, in the words and expressions used in respect of purchase, movement, sale, supply, distribution or storage for sale in the Removal of (Licensing Requirements Stock Limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs order 2002 shall be kept in abeyance for commodities, namely, **Edible Oil and Edible Oilseed** for a further period upto **30th September, 2015** from the date of commencement of this order.

4. The deletion of **Edible Oil and Edible Oilseed** from schedule -1, in Bihar Trade Article (Licences Unification) order-1984 vide departmental notification no. **7442**, dated **16th September, 2014** shall be kept in abeyance upto **30th September, 2015**.
5. The validity of the departmental notification issued vide memo no. 8969 dated 04.11.2011 is extended upto **30th September, 2015**.
4. Previously issued corresponding notifications/orders shall deem to be amended upto this extent.
5. This notification shall come into force at once.

(Pra/04-aa-01/09-Part-III)
By order of the Governor of Bihar

6.2.15

(Shailendra Kumar Chaudhary)
Additional Secretary to the Govt.

D:\2009\SEC_4\GSR.doc